



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**मानव संसाधन प्रबंधन विभाग**  
**पणजी क्षेत्रीय कार्यालय**

**रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, पणजी, गोवा को अप्रैल 01, 2026 से मार्च 31, 2027 तक की अवधि के लिए वाहन प्रदान करने हेतु कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों के पैनल में शामिल करने हेतु ई-टेंडर की सूचना**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय (जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा) अपने अधिकारियों एवं अधिकृत व्यक्तियों के उपयोग हेतु वाहन प्रदान करने के लिए अप्रैल 01, 2026 से मार्च 31, 2027 तक की अवधि (एवं पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों एवं प्रावधानों के आधार पर अधिकतम दो वर्ष तक के लिए नवीनीकरण के प्रावधान के साथ, एक वर्ष के लिए अर्थात् अप्रैल 01, 2027 से मार्च 31, 2028 तक एवं अप्रैल 01, 2028 से मार्च 31, 2029 तक, बैंक द्वारा वर्तमान समझौते की समाप्ति के समय निर्धारित संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन) के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. टेंडर प्रक्रिया MSTC लिमिटेड के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) के माध्यम से की जाएगी। रुचि रखने वाले टेंडरदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से MSTC लिमिटेड के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है ताकि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकें। टेंडर दस्तावेज आरबीआई वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) के 'टेंडर' अनुभाग (आरबीआई वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर) एवं वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 09 मार्च, 2026 तक 03:00 बजे है। केवल पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए टेंडरों को उपरोक्त प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त किए गए टेंडरों को बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। रुचि रखने वाले टेंडरदाताओं को MSTC पोर्टल पर भरे गए फॉर्म/फॉर्म्स को जहां लागू हो, अपलोड करना चाहिए।

3. टेंडरदाता/आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि बोली जमा करने से पहले उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल पर किसी भी संशोधन/सुधार/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से जांच करें। इस संबंध में कोई अलग सूचना नहीं दी जाएगी। आरबीआई को टेंडर रद्द करने, संशोधित करने एवं बोली जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई को किसी भी टेंडर को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने एवं किसी भी या सभी टेंडरों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

**क्षेत्रीय निदेशक**  
**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**पणजी**

## टेंडर की अनुसूची

1	ई-टेंडर नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी द्वारा कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों के पैनेल में शामिल करना
2	ई-टेंडर संख्या	E-Tender Ref No: RBI/Panaji/HRMD/3/25-26/ET/1015[Empanelment – Car Hiring]
3	टेंडर का मोड/ ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली	e-Procurement System (Online Part I - Technical Bid and Part II - Financial Bid through <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprocn">https://www.mstcecommerce.com/eprocn</a> )
4	NIT डाउनलोड के लिए पक्षों के लिए उपलब्ध तिथि	16 फरवरी, 2026 को 03:00 बजे से आगे
5	बोली-पूर्व बैठक	27 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे, भारतीय रिजर्व बैंक, जेरा इम्पीरियम II, पत्तो प्लाजा, पणजी 403 001, 7वीं मंजिल, सम्मेलन कक्ष
6	टेंडर का अनुमानित लागत	₹20,00,000/- (Approx.) (inclusive of all costs and exclusive of applicable Taxes)
7	Earnest जमा राशि (EMD)	₹40,000/- (केवल चालीस हजार रुपये), जो कुल अनुबंध मूल्य का 2% है। यह राशि प्रत्येक बोलीदाता द्वारा 09 मार्च, 2026 को 02:00 बजे से पहले NEFT के माध्यम से आरबीआई में जमा की जानी चाहिए। NEFT लेनदेन के लिए लाभार्थी विवरण निम्नलिखित हैं:  नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBISOPJPA01 (कृपया पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य '0' के रूप में पढ़ें) नोट: NEFT हस्तांतरण की पुष्टि करने वाली ईमेल निम्नलिखित पतों पर भेजी जा सकती है: <a href="mailto:allotmentpanaji@rbi.org.in">allotmentpanaji@rbi.org.in</a> CC: <a href="mailto:pulkitagrawal@rbi.org.in">pulkitagrawal@rbi.org.in</a> , <a href="mailto:kartikg@rbi.org.in">kartikg@rbi.org.in</a> , <a href="mailto:agawade@rbi.org.in">agawade@rbi.org.in</a> असफल एजेंसी/बोलीदाता की EMD अनुबंध प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर बिना ब्याज के वापस की जाएगी। सफल बोलीदाता की EMD PBG जमा करने के 15 दिनों के भीतर वापस की जाएगी।
8	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	09 मार्च, 2026 02:00 बजे तक
9	ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने हेतु ई-टेंडर की शुरुआत की तिथि	16 फरवरी, 2026 को 03:00 बजे से आगे

10	<b>ऑनलाइन ई-टेंडर बंद करने की तिथि</b>	09 मार्च, 2026 (03:00 बजे)
11	<b>भाग-I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि एवं समय</b>	09 मार्च, 2026 को 04:00 बजे
12	<b>भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि एवं समय</b>	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी, जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, पणजी द्वारा स्वीकार्य पाई गई हो। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II खोलने की तिथि के बारे में उनके द्वारा दिए गए वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
13	<b>लेनदेन शुल्क</b>	यदि कोई शुल्क है, तो इसे MSTC भुगतान गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से MSTC लिमिटेड के पक्ष में या M/s MSTC लिमिटेड द्वारा सलाहित तरीके से जमा करना होगा। कृपया लेनदेन शुल्क को भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को न भेजें।



**भारतीय रिजर्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
पणजी क्षेत्रीय कार्यालय  
निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)**

**भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी, गोवा को वाहन प्रदान करने हेतु कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों के पैनल में शामिल करने के लिए ई-निविदा**

**E-Tender Ref No: RBI/Panaji/HRMD/3/25-  
26/ET/1015[Empanelment – Car Hiring]**

## अस्वीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, पणजी द्वारा इस दस्तावेज़ को रुचि रखने वाले पक्षों को अनुबंध के संदर्भ में पृष्ठभूमि सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें निहित सूचना की तैयारी में उचित सावधानी बरती है और यह मानता है कि यह सूचना उचित है, तथापि भारतीय रिजर्व बैंक या इसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी, या उनके कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज़ में निहित सूचना या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी सूचना की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिनिधित्व, स्पष्ट या निहित, नहीं दिया जाता है।

यह सूचना व्यापक होने के लिए नहीं है। रुचि रखने वाले पक्षों को अपनी स्वयं की जांच करनी आवश्यक है और प्रतिवादी को लिखित रूप से पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे ई-निविदा जमा करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई सूचना पर केवल निर्भर नहीं हैं। यह सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक या इसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी, या उनके कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक को अनुबंध के साथ आगे बढ़ने से इनकार करने या अनुबंध की व्यवस्था बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए समय सारणी को संशोधित करने या लागू किए जाने वाले प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित है। यह अधिकार भी सुरक्षित है कि रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार किया जा सकता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की पुनर्प्राप्ति नहीं की जाएगी।

## सूची की तालिका

विवरण	पृष्ठ
ई-निविदा आमंत्रण सूचना	4
निविदा कार्यक्रम (SOT)	5-6
ई-निविदा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश	7-10
तकनीकी बोली का प्रारूप	11-17
कार किराए की एजेंसी / टैक्सी संचालक के पैनल में शामिल होने के लिए पूर्व-अर्हता मानदंड	18-19
कार किराए की एजेंसी / टैक्सी संचालक द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य दिशा-निर्देश / निर्देश	20-28
वित्तीय बोली	29-30
परिशिष्ट (A-H)	31-50



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**मानव संसाधन प्रबंधन विभाग**  
**पणजी क्षेत्रीय कार्यालय**

**रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, पणजी, गोवा को अप्रैल 01, 2026 से मार्च 31, 2027 तक की अवधि के लिए वाहन प्रदान करने हेतु कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों के पैनल में शामिल करने हेतु ई-टेंडर की सूचना**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पणजी क्षेत्रीय कार्यालय (जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा) अपने अधिकारियों एवं अधिकृत व्यक्तियों के उपयोग हेतु वाहन प्रदान करने के लिए अप्रैल 01, 2026 से मार्च 31, 2027 तक की अवधि (एवं पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों एवं प्रावधानों के आधार पर अधिकतम दो वर्ष तक के लिए नवीनीकरण के प्रावधान के साथ, एक वर्ष के लिए अर्थात् अप्रैल 01, 2027 से मार्च 31, 2028 तक एवं अप्रैल 01, 2028 से मार्च 31, 2029 तक, बैंक द्वारा वर्तमान समझौते की समाप्ति के समय निर्धारित संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन) के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों से आवेदन आमंत्रित करता है।

2. टेंडर प्रक्रिया MSTC लिमिटेड के ई-टेंडरिंग पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/eprocn>) के माध्यम से की जाएगी। रुचि रखने वाले टेंडरदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से MSTC लिमिटेड के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है ताकि टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकें। टेंडर दस्तावेज आरबीआई वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) के 'टेंडर' अनुभाग (आरबीआई वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर) एवं वेबसाइट [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 09 मार्च, 2026 तक 03:00 बजे है। केवल पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए टेंडरों को उपरोक्त प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के बाद किसी भी माध्यम से प्राप्त किए गए टेंडरों को बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। रुचि रखने वाले टेंडरदाताओं को MSTC पोर्टल पर भरे गए फॉर्म/फॉर्म्स को जहां लागू हो, अपलोड करना चाहिए।

3. टेंडरदाता/आवेदकों को सुझाव दिया जाता है कि बोली जमा करने से पहले उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल पर किसी भी संशोधन/सुधार/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से जांच करें। इस संबंध में कोई अलग सूचना नहीं दी जाएगी। आरबीआई को टेंडर रद्द करने, संशोधित करने एवं बोली जमा करने की समय सीमा को बढ़ाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई को किसी भी टेंडर को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने एवं किसी भी या सभी टेंडरों को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

**क्षेत्रीय निदेशक**  
**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**पणजी**

## टेंडर की अनुसूची

1	ई-टेंडर नाम	भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी द्वारा कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों के पैनेल में शामिल करना
2	ई-टेंडर संख्या	E-Tender Ref No: RBI/Panaji/HRMD/3/25-26/ET/1015[Empanelment – Car Hiring]
3	टेंडर का मोड/ ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली	e-Procurement System (Online Part I - Technical Bid and Part II - Financial Bid through <a href="https://www.mstcecommerce.com/eprocn">https://www.mstcecommerce.com/eprocn</a> )
4	NIT डाउनलोड के लिए पक्षों के लिए उपलब्ध तिथि	16 फरवरी, 2026 को 03:00 बजे से आगे
5	बोली-पूर्व बैठक	27 फरवरी, 2026 को 11:00 बजे, भारतीय रिजर्व बैंक, जेरा इम्पीरियम II, पत्तो प्लाजा, पणजी 403 001, 7वीं मंजिल, सम्मेलन कक्ष
6	टेंडर का अनुमानित लागत	₹20,00,000/- (Approx.) (inclusive of all costs and exclusive of applicable Taxes)
7	Earnest जमा राशि (EMD)	₹40,000/- (केवल चालीस हजार रुपये), जो कुल अनुबंध मूल्य का 2% है। यह राशि प्रत्येक बोलीदाता द्वारा 09 मार्च, 2026 को 02:00 बजे से पहले NEFT के माध्यम से आरबीआई में जमा की जानी चाहिए। NEFT लेनदेन के लिए लाभार्थी विवरण निम्नलिखित हैं:  नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBISOPJPA01 (कृपया पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य '0' के रूप में पढ़ें) नोट: NEFT हस्तांतरण की पुष्टि करने वाली ईमेल निम्नलिखित पतों पर भेजी जा सकती है: <a href="mailto:allotmentpanaji@rbi.org.in">allotmentpanaji@rbi.org.in</a> CC: <a href="mailto:pulkitagrawal@rbi.org.in">pulkitagrawal@rbi.org.in</a> , <a href="mailto:kartikg@rbi.org.in">kartikg@rbi.org.in</a> , <a href="mailto:agawade@rbi.org.in">agawade@rbi.org.in</a> असफल एजेंसी/बोलीदाता की EMD अनुबंध प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर बिना ब्याज के वापस की जाएगी। सफल बोलीदाता की EMD PBG जमा करने के 15 दिनों के भीतर वापस की जाएगी।
8	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	09 मार्च, 2026 02:00 बजे तक
9	ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने हेतु ई-टेंडर की शुरुआत की तिथि	16 फरवरी, 2026 को 03:00 बजे से आगे

10	<b>ऑनलाइन ई-टेंडर बंद करने की तिथि</b>	09 मार्च, 2026 (03:00 बजे)
11	<b>भाग-I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि एवं समय</b>	09 मार्च, 2026 को 04:00 बजे
12	<b>भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि एवं समय</b>	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी, जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, पणजी द्वारा स्वीकार्य पाई गई हो। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II खोलने की तिथि के बारे में उनके द्वारा दिए गए वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
13	<b>लेनदेन शुल्क</b>	यदि कोई शुल्क है, तो इसे MSTC भुगतान गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से MSTC लिमिटेड के पक्ष में या M/s MSTC लिमिटेड द्वारा सलाहित तरीके से जमा करना होगा। कृपया लेनदेन शुल्क को भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को न भेजें।

## भाग I

### ई-टेंडरिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), पणजी का एक ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है। आपसे अनुरोध है कि अपना ऑनलाइन टेंडर जमा करने से पहले ई-निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस और बाद के शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें।

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ बोलीदाता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। बोलीदाता के पास तृतीय श्रेणी हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोली लगाने वालों को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई, पणजी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है (बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर के बिना दर्ज नहीं की जाएगी)।

नोट: तकनीकी बोली और वित्तीय बोली केवल <https://www.mstcecommerce.com/eproc> पर ऑनलाइन जमा की जानी है।

बोलीदाताओं को [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभाग → आरबीआई रजिस्टर के साथ विवरण भरकर और स्वयं का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर 'विक्रेता' के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है → जमा करें।

बोलीदाताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एमएसटीसी/आरबीआई पणजी से संपर्क करें, (ई-निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि/समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

श्री तन्मय सरकार, उप प्रबंधक, ईमेल आईडी - [wroopn11@mstcindia.in](mailto:wroopn11@mstcindia.in), मोबाइल: 7651915418/8349894664 (ई-निविदाओं, सिस्टम सेटिंग्स आदि से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक)।

ईमेल आईडी - [hepldeskho@mstcindia.in](mailto:hepldeskho@mstcindia.in) (कृपया ईमेल भेजते समय विषय के रूप में "एचओ हेल्पडेस्क" का उल्लेख करें)

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, पणजी):

i) श्री पुलकित अग्रवाल (सहायक महाप्रबंधक), एचआरएमडी, आरबीआई, पणजी

दूरभाष: 0832-2467 840 ईमेल आईडी: [pulkitagrawal@rbi.org.in](mailto:pulkitagrawal@rbi.org.in)

ii) श्री कार्तिक एस गोखले (सहायक प्रबंधक), एचआरएमडी, आरबीआई, पणजी

दूरभाष: 0832-2467848 ईमेल आईडी: [kartikg@rbi.org.in](mailto:kartikg@rbi.org.in)

2. सिस्टम आवश्यकताएँ:

- I. विंडोज XP-SP3 और इसके बाद के संस्करण / विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम
- II. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र
- III. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- IV. JRE-7 अपडेट 9 और इसके बाद के संस्करण के सॉफ्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है। ई) डीएससी के लिए "संरक्षित मोड" को साइनर बॉक्स में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं। इंटरनेट विकल्प > उपकरण > सुरक्षा > संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है - यानी "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करते हुए टिक बॉक्स से टिक

हटा दें।

अन्य सेटिंग्स: उपकरण > इंटरनेट विकल्प सामान्य > > "ब्राउज़िंग इतिहास / ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" सक्रिय > है। सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और कस्टम स्तर के > उपकरण > इंटरनेट विकल्प के तहत 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया पृष्ठ से IE सेटिंग्स [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) एक बार चलाएं) अधिक जानकारी के लिए, बोलीदाता सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता गाइड और <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर उपलब्ध एफएक्यू का उल्लेख कर सकता है।

3. मूल्य बोली <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है। निविदाएं निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

4. निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय / मूल्य प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

5. लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट: बोलीदाता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। बोलीदाताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। बोली लगाने वाले को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, बोलीदाता एक फॉर्म भरकर चालान उत्पन्न करेगा। बोलीदाता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि में परिवर्तन किए बिना प्रेषित करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, बोलीदाता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और बोलीदाता को सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

6. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है: एक बोली लगाने वाले को लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे घटना के समापन समय से पहले अग्रिम रूप से लेनदेन शुल्क को अच्छी तरह से प्रेषित करें ताकि बोली प्रस्तुत करने के लिए खुद को पर्याप्त समय दिया जा सके। निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में सूचना केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ बोलीदाता के पंजीकरण के समय प्रदान किया गया उनका कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।

7. ई-निविदा में बोली:

बोलीदाताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक बयाना धन जमा (ईएमडी) और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। ₹40,000/- (केवल चालीस हजार रुपये) की राशि के लिए ईएमडी आरबीआई, पणजी को प्रेषित किया जाना है, ताकि आरबीआई पणजी को 09 मार्च 2026 (02:00 बजे तक) प्राप्त किया जा सके। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार हैं।

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी

आईएफएससी : RBISOPJPA01 (कृपया पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य के रूप में पढ़ें)

खाता सं. : 186003001

लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा।

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण के प्रमाण को [pulkitagrawal@rbi.org.in](mailto:pulkitagrawal@rbi.org.in) को ई-मेल करें। और [kartikg@rbi.org.in](mailto:kartikg@rbi.org.in)

आरबीआई द्वारा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) की ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा कार्य प्रदान किए जाने की तारीख के बाद 15 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाना शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली/वित्तीय बोली [www.mstcecommerce.com](http://www.mstcecommerce.com) → सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी विभागों → ई-प्रापण प्रस्तुत कर सकते हैं। → आरबीआई → My menu → Auction Floor Manager → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट के चयन के तहत लॉगिन करें।

बोलीदाता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कार्य बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद किया जाना है। फिर उन्हें सामान्य शर्तों/वाणिज्यिक विनिर्देश भरने होंगे और उसी को सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें, यदि लागू हो। यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है तो / बोलीदाता अपनी तकनीकी बोली को बचाने / जमा करने में सक्षम नहीं होगा।

तकनीकी बोली (यदि लागू हो) भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना पड़ता है और फिर बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली दर्ज करने के लिए 'बचत' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सहेजे जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए अंतिम सबमिशन बटन पर क्लिक कर सकता है।

बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'अटैच डॉक' बटन का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे। ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोली लगाने वाले पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसी की स्वीकृति बाद में आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच उस प्रभाव के अनुबंध के निष्पादन द्वारा एक बाध्यकारी अनुबंध बनाएगी।

1. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. खरीदार रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि मामला हो सकता है, बिना कोई कारण बताए।
3. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।

8. किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। तकनीकी और वित्तीय नियमों और शर्तों में कोई विचलन की अनुमति नहीं है। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (ओं) की प्राप्ति की नियत तारीख बढ़ाने का अधिकार है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने वाले गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले सिस्टम से परिचित होने के लिए पृष्ठ <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> में वीडियो देखें।



भारतीय रिजर्व बैंक  
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग  
पणजी क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी, गोवा को वाहन प्रदान करने हेतु  
कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों के पैनल में  
शामिल करने के लिए ई-निविदा

**PART I – TECHNICAL BID**

Name of the Agency/ Operator: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

**Last date of Submission: March 09, 2026 till 03:00 PM**

# टेक्निकल बीड का फ़ारमैट

## भाग - 1

क्षेत्रीय निदेशक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
पणजी

महोदया/ महोदय,

विषय: भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी, गोवा को वाहन प्रदान करने हेतु कार किराए की एजेंसियों/टैक्सी संचालकों के पैनल में शामिल करने के लिए ई-निविदा

मैं/हमने नीचे दिए गए स्मरण पत्र में विनिर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, आवश्यकताओं और शर्तों का परीक्षण और अध्ययन कर लिया है तथा बोली पर प्रभाव डालने वाली उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली है, अतः मैं/हम यहां घोषणा करते हैं कि हम उक्त स्मरण पत्र में विनिर्दिष्ट कार्यों को वित्तीय बोली में उल्लिखित दरों पर अनुबंध के लेखों, सामान्य निर्देशों और विशेष शर्तों तथा कार्य के दायरे में लिखित विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार, सभी प्रकार से, और अन्य सभी दृष्टियों से ऐसी शर्तों के अनुसार जो लागू हो सकती हैं, करने का प्रस्ताव रखते हैं।

### MEMORANDUM

(a)	Description of works	Providing Car Hiring Agencies / Taxi Operator/ Companies Services by Providing Vehicles to Reserve Bank of India, Panaji, Goa
(b)	Estimated cost	₹20,00,000/- (₹ Twenty lakh Only)
(c)	Earnest Money Deposit	₹40,000/- (₹ Forty Thousand Only)
(d)	Period of Contract	Initially, the contract will be awarded for one year from April 01, 2026 to March 31, 2027 (with the provision of renewal on mutually agreed terms and conditions for a maximum period of two more years, one year at a time i.e. from April 01, 2027 to March 31, 2028 and from April 01, 2028 to March 31, 2029, subject to satisfactory performance to be evaluated by RBI Panaji RO
(e)	Rates	Rates are to be quoted as per Financial Bid. The rates shall be in alignment with the prevailing market rates.

### **Particulars of the Company / Firm / Agency**

Sr. No.	Particulars	Details to be filled in by the Company / Firm / Agency
1.	a) Name of the Company / Firm / Agency b) Name of the bidder c) Address of Registered Office, d) Contact persons and phone numbers e) Address for correspondence, f) Contact persons and phone numbers for correspondence	
2.	Registered Office / Business address of the Company / Firm / Agency along with Telephone No., Mobile No. and E-mail, if any a) Whether having own office/ garage in Panaji# b) Whether having office at any other important cities of Goa (if so details thereof)#	
3.	a) Name/s of Proprietor / Partners / Directors with designations (Submit KYC documents of Proprietor / Partners / Directors) b) Type / form of organisation: (Proprietorship firm / partnership firm / private limited / limited company) c) Date of establishment / incorporation d) Registering authority e) Registration No. and date  (Enclose relevant supporting documents for the above)	
4.	Work experience–Details of work experience as per the requirement in the prequalification criteria supported by work orders, documents, or certificates.  The details along with documentary evidence of previous experience, if any, of providing car/ taxi hiring services for the Reserve Bank of India at any centre, or Government / Semi-Government / Public Sector Undertakings / banks / MNCs should also be given.	
5.	Creditworthiness of the Agency and its turnover during the specified period (year-wise). Copies of the Income Tax Return (ITRs) / ITR	

	Acknowledgements along with the latest final accounts of the business of the Agency duly certified by a Chartered Accountant should be enclosed in proof of their creditworthiness and turnover for previous three years viz.	
	Financial year 2024-25	
	Financial year 2023-24	
	Financial year 2022-23	
6.	Whether registered with Labour Department under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. If yes, indicate date of registration.	
7.	PAN / TIN (enclose copies of last three years' Income Tax returns)	
8.	Details of GST Number	
9.	Name and address of the Bankers (full detail)	
10.	Bank Account details (IFSC, account number, etc.) for refund of EMD / receiving payments if empanelled. Please enclose copy of cancelled cheque.	
11.	Details of UTR number regarding transfer of EMD to the RBI for this tender.	
12.	Name and address of the top 02 clients along with full details. Name: Location: Contact Details including Email and Mobile / Landline	
13.	Number of vehicles owned (please attach complete list) with details such as type/make/model of vehicle, condition/age of vehicle with their Registration, Taxi permit No. Etc. (attach documentary evidence)	
14.	Number of Drivers in employment of the firm/company/agency.	

# It may be noted that 2(a) above will be treated as a pre-requisite for technically qualifying in this tender. Any documentary evidence may be submitted in this regard. However, 2(b) is only a desirable condition but not a necessary condition while doing the technical evaluation.

दावे के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य संलग्न किए जा सकते हैं।

\* उद्धृत करें एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगी, जो 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक होगी। अनुबंध को आरबीआई पणजी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वर्तमान समझौते की समाप्ति पर संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों और प्रावधानों के अधीन दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि (एक वर्ष समय-समय पर) के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

तकनीकी बोली के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ:

- ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण (2022-23, 2023-24, 2024-25)
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न (2022-23, 2023-24, 2024-25)
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए ऑडिट किया गया बैलेंस शीट (2022-23, 2023-24, 2024-25)
- बैंकर्स का विवरण तथा वित्तीय स्थिति पर बैंकर्स प्रमाणपत्र
- ग्राहकों की सूची तथा ग्राहक प्रतिक्रिया
- फर्म के निगमन दस्तावेज
- पैन तथा जीएसटी पंजीकरण की प्रति, जहाँ लागू हो
- स्वामित्व वाली कारों की सूची तथा कारों के पंजीकरण प्रमाणपत्र
- अन्य कोई दस्तावेज (कृपया निर्दिष्ट करें)

हिंदी में अनुवाद:

- मैं/हम टेंडर दस्तावेज़ में वर्णित कार्य के क्षेत्र/प्रकृति और शर्तों एवं नियमों के अनुरूप अपनी/हमारी सेवाएं प्रदान करने का वचन देता हूँ/देते हैं। मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित सभी शर्तों एवं नियमों के अनुरूप है।
- मैं/हम टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर रहा हूँ/कर रहे हैं।
- शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार ईएमडी का भुगतान किया गया है।
- यदि यह टेंडर स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम यहां घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हम इससे संलग्न अनुबंध की शर्तों एवं प्रावधानों का पालन करेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, जहां तक वे लागू होते हैं। मैं/हम यह भी सहमत हैं कि यदि इनका उल्लंघन होता है, तो इस दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उल्लिखित राशि (ईएमडी) जब्त की जाएगी और मैं/हम इसके विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं करेंगे।
- मैं/हम सहमत हैं कि हमारा टेंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पणजी द्वारा टेंडर के भाग। के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक या टेंडर के अंतिम निर्णय की तारीख तक, जो भी पहले हो, स्वीकार के लिए वैध रहेगा।
- मैं/हम यहां घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकरणों के साथ कोई मामला नहीं है। इसके अतिरिक्त, मैं/हम किसी भी संगठन द्वारा किसी भी कारण से निलंबित/सूची से बाहर/काली सूची में नहीं डाले गए हैं और न ही ऐसी कोई कार्यवाही लंबित या विचाराधीन है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करता

हूँ/करते हैं कि न तो हमारी फर्म और न ही कोई साझेदार किसी धोखाधड़ी या अनुशासनात्मक कार्यवाही में शामिल है, चाहे वह निपटाई गई हो या निपटाई जाने की प्रक्रिया में हो।

7. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है। मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी या सभी जानकारी की संबंधित प्राधिकरणों के साथ सत्यापन करने में कोई आपत्ति नहीं है।

8. मैं/हम समझता हूँ/समझते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी भी या सभी टेंडरों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है, बिना किसी कारण के।

दिनांक \_\_ दिन, \_\_\_\_ 2026

एम/एस \_\_\_\_\_ की ओर से एवं उनके लिए

(टेंडरकर्ता के हस्ताक्षर सहित मुहर एवं तिथि)

नाम : \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

स्थान : \_\_\_\_\_

तिथि : \_\_\_\_\_

संपर्क नंबर: \_\_\_\_\_

ई-मेल : \_\_\_\_\_

साक्षी:

1. नाम, पता एवं संपर्क नंबर सहित हस्ताक्षर

2. नाम, पता एवं संपर्क नंबर सहित हस्ताक्षर

## घोषणा

1. उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो मुझे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है/अनुबंध दिया जा सकता है।
2. मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) द्वारा निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सामान्य शर्तों और प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
3. हम यह भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग 1 के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार के लिए मान्य रहेगी और यह मान्यता अवधि बैंक और निविदाकर्ता के बीच लिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमत किसी अवधि के लिए समान शर्तों और प्रावधानों पर बढ़ाई जा सकती है। हम यह भी सहमत हैं कि निविदा की पूरी मान्यता अवधि के दौरान हमारी ईमानदारी राशि (EMD) मान्य रहेगी।
4. मैं/हम समझते हैं कि बैंक को किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और इसके लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ 2026

हस्ताक्षर

**Tenderer** नाम

ध्यान दें:

बोलीदाता अलग से अनुलग्नक G भी जमा कर सकते हैं।

रुचि रखने वाले निविदाकारों को MSTC पोर्टल पर भरा हुआ फॉर्म अपलोड करना चाहिए। निविदा/आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09 मार्च, 2026 तक 03:00 बजे तक है।

रुचि रखने वाले निविदाकार इस दस्तावेज के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें, यदि सभी विवरण भरे नहीं गए हैं या आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए गए हैं, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## कार किराए की एजेंसियों के एम्पैनलमेंट के लिए पूर्व-पात्रता मानदंड

- i. टेंडरदाता के पास परिवहन सेवा प्रदाता के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। साथ ही, उन्हें पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 1 वर्ष का अनुभव प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों / सरकार या अर्ध-सरकारी संगठनों / वाणिज्यिक बैंकों / प्रतिष्ठित निजी निगमों को कार किराए की सेवाएं प्रदान करने में होना चाहिए। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जा सकता है।
- ii. टेंडरदाता के पास यातायात साधनों का उचित आकार (न्यूनतम 10 वाहन) तथा वार्षिक कारोबार का टर्नओवर ₹20 लाख से कम नहीं होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जा सकता है।
- iii. सभी कारें पूर्णतः वाणिज्यिक प्रकृति की होंगी, अर्थात् आर.टी.ओ के साथ वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए। टैक्सी परमिट के दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाने चाहिए। बैंक को प्रदान किए जाने वाले सभी वाहनों में वैध टैक्सी परमिट (वाणिज्यिक) तथा स्थानीय एवं अन्य राज्यों में यात्रा के लिए अन्य सभी वैधानिक अनुमोदन होने चाहिए।
- iv. टेंडरदाता सुनिश्चित करेगा कि सभी कारों में वैध दस्तावेज, जैसे पंजीकरण पुस्तिका (R.C. Book), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC), बीमा, सड़क कर आदि हों, तथा नियुक्त चालकों के पास आर.टी.ओ दिशानिर्देशों के अनुसार वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
- v. टेंडरदाता के पास लागू कर पंजीकरण (पैन, जीएसटी आदि) होना चाहिए, जिसका दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किया जाए।
- vi. टेंडरदाता के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / सहकारी बैंकों में बैंक खाता होना चाहिए।
- vii. टेंडरदाता दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए तथा पर्यटन एवं यात्रा सेवाएं संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
- viii. टेंडरदाता ने किसी भी अधिकारी/न्यायालय द्वारा किसी वैधानिक कानून का उल्लंघन करने के लिए कोई दंड या अभियोजन नहीं झेला होना चाहिए।
- ix. टेंडरदाता का पूर्व इतिहास साफ होना चाहिए, जिसमें किसी अवैध गतिविधि या वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ाव न हो। पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकरणों के खिलाफ टेंडरदाता या यदि यह एक निजी कंपनी/साझेदारी फर्म/कंपनी है तो उसके स्वामियों/साझेदारों/निदेशकों के विरुद्ध कोई मामला नहीं होना चाहिए।
- x. टेंडरदाता को किसी भी संगठन, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है, द्वारा किसी भी कारण से निलंबित/डेलिस्ट किया गया/ब्लैकलिस्ट किया गया/प्रतिबंधित नहीं किया गया होना चाहिए। इस संबंध में टेंडरदाता द्वारा पत्राच्छादन पर स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- xi. टेंडरदाता ने अपने किसी भी ग्राहक द्वारा आवंटित अनुबंध को निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व रद्द या त्याग नहीं किया होना चाहिए। टेंडरदाता अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देगा तथा उनकी वर्तमान स्थिति बताएगा।

- xii. बैंक टेंडर की कीमत बोली खोलने से पूर्व ग्राहक रिपोर्ट और बैंक रिपोर्ट के आधार पर टेंडरदाता के पूर्व प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी टेंडरदाता को टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं है या उसके ग्राहकों/बैंकर्स की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक उसका प्रस्ताव अस्वीकार करने का अधिकार रखता है और ईमानदारी राशि (EMD) वापस कर दी जाएगी। बैंक ऐसा करने का कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- xiii. टेंडरदाता का पूर्व इतिहास अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी से मुक्त होना चाहिए। यदि यह निजी कंपनी/साझेदारी फर्म है, तो बिडर या स्वामियों/साझेदारों के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकरणों के पास कोई मामला नहीं होना चाहिए। इस संबंध में टेंडर दस्तावेज़ के भाग के रूप में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- xiv. टेंडरदाता ने पिछले 15 वर्षों में किसी भी अधिकारी द्वारा किसी वैधानिक कानून का उल्लंघन करने के लिए दंड या अभियोजन नहीं झेला होना चाहिए। इस संबंध में टेंडर दस्तावेज़ के भाग के रूप में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- xv. टेंडरदाता को पिछले 10 वर्षों में किसी भी संगठन, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है, द्वारा किसी भी कारण से निलंबित/डेलिस्ट/ब्लैकलिस्ट/समाप्त नहीं किया गया होना चाहिए। इस संबंध में टेंडर दस्तावेज़ के भाग के रूप में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- xvi. टेंडरदाता ने पिछले 10 वर्षों में अपने किसी भी ग्राहक द्वारा आवंटित अनुबंध को निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व रद्द या त्याग नहीं किया होना चाहिए। बिडर अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देगा तथा उनकी वर्तमान स्थिति बताएगा।
- xvii. बैंक को किसी भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी टेंडरों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

## सामान्य निर्देश एवं शर्तें:

टेंडर दो भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अर्थात् भाग I जिसमें शर्तें, नियम एवं कार्य का विस्तृत परिसर शामिल होगा, तथा भाग II केवल मूल्य बोली। टेंडर सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए तथा सभी संलग्नकों/संलग्न/परिशिष्टों के साथ होना चाहिए। अधूरे प्रपत्र अथवा उचित दस्तावेजी साक्ष्य (जैसा निर्देशित) के बिना बैंक द्वारा तुरंत अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

### 1. पूर्व-बोली बैठक:

रुचि रखने वाले टेंडरदाता 27 फरवरी, 2026 (11:00 बजे) को आरबीआई, पणजी के एचआरएमडी कॉन्फ्रेंस रूम, 7वीं मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पट्टो प्लाजा, पणजी-403 001 में आयोजित पूर्व-बोली बैठक में भाग ले सकते हैं। बैंक टेंडर से संबंधित किसी भी बिंदु/संदेह की व्याख्या करेगा। बैठक के लिए अलग संचार नहीं भेजा जाएगा। टेंडरदाता बैठक से पूर्व निम्न ईमेल आईडी पर स्पष्टीकरण हेतु बिंदु/शर्तें/विनिर्देश अवश्य भेजें: [allotmentpanaji@rbi.org.in](mailto:allotmentpanaji@rbi.org.in) तथा [pulkitagrawal@rbi.org.in](mailto:pulkitagrawal@rbi.org.in)। इन मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। टेंडरदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर लें। पूर्व-बोली बैठक के बाद किसी भी स्पष्टीकरण/संदेह को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

### 2. टेंडर खोलने की प्रक्रिया:

भाग I का खुलासा 09 मार्च, 2026 को 16:00 बजे आरबीआई, पणजी में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। केवल वे बोलीदाता जिन्हें भाग I की जांच के पश्चात योग्य पाया जाएगा, उनका भाग II (मूल्य बोली) खोला जाएगा। भाग II खोलने की तिथि सभी योग्य बोलीदाताओं को ईमेल द्वारा सूचित की जाएगी। बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि (प्रत्येक बोली के लिए अधिकतम 02) भाग I के खुलासे के समय उपस्थित रह सकते हैं; इसी प्रकार, योग्य बोलीदाता भाग II के खुलासे के समय उपस्थित रह सकते हैं।

### 3. ईमानदारी धन जमा (EMD):

(i) टेंडर आवेदन के साथ ₹40,000/- (केवल चालीस हजार रुपये) की ईमानदारी धन जमा (EMD) का साक्ष्य अवश्य देना होगा, अन्यथा टेंडर अस्वीकार कर दिया जाएगा। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल एजेंसी/बोलीदाता का EMD कार्य/अनुबंध के आवंटन तिथि से 15 दिनों के भीतर ब्याज रहित वापस कर दिया जाएगा; जबकि सफल बोलीदाता का EMD अनुबंध की समाप्ति की तिथि से 3 माह बाद तक वैध, अपरिवर्तनीय प्रदर्शन बैंक गारंटी (Annex A के अनुसार) जमा करने पर 15 दिनों के भीतर वापस किया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो EMD जब्त कर लिया जाएगा।

EMD जमा करने हेतु NEFT विवरण:

- लाभार्थी नाम: Reserve Bank of India, Panaji
- खाता संख्या: 186003001
- IFSC: RBISOPJPA01 (पांचवें और दसवें अक्षर को शून्य '0' मानें)
- नोट: EMD जमा संबंधी ईमेल की पुष्टि [allotmentpanaji@rbi.org.in](mailto:allotmentpanaji@rbi.org.in) को भेजें, साथ ही [pulkitagrawal@rbi.org.in](mailto:pulkitagrawal@rbi.org.in), [kartikg@rbi.org.in](mailto:kartikg@rbi.org.in) तथा [agawade@rbi.org.in](mailto:agawade@rbi.org.in) को कॉपी मार्क करें।

### 4. कार्य परिसर एवं अनुबंधक के लिए दिशानिर्देश:

(i) वाहन की स्थिति एवं अतिरिक्त सुविधाएँ:

a) सफल टेंडरदाता/अनुबंधक द्वारा प्रदान की गई कारें कार्य तिथि तक 3 वर्ष से पुरानी नहीं होंगी।

- b) सभी वाहन GPS सक्षम होंगे एवं अच्छी स्थिति में, साफ-सुथरे अंदरूनी भाग के साथ होंगे।
- c) वाहन एसी कार (ड्राइवर के साथ) होंगे, जैसा बैंक या बैंक द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाए।
- d) वाहनों में निम्नलिखित सुविधाएँ होंगी: (i) एक अंग्रेजी समाचार पत्र, (ii) 500 मिली की दो बोतलें (बिसलेरी या समकक्ष), (iii) सूखे/गीले टिशू, (iv) छाता एवं प्राथमिक उपचार किट, (v) अग्निशामक, (vi) दो सीलबद्ध फेस मास्क, (vii) 70% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर, (viii) यूनिवर्सल मोबाइल चार्जर। उपरोक्त सुविधाओं हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
- e) अनुबंधक के पास वैध टैक्सी परमिट (स्थानीय एवं अखिल भारतीय) एवं अन्य कानूनी अनुमतियाँ होनी चाहिए। वाहन RTO द्वारा वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत होने चाहिए।
- f) अनियमित उप-अनुबंध की अनुमति नहीं है।
- g) कोविड-19 या अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित केंद्र/राज्य सरकारों के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।
- h) बैंक किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(ii) ड्राइवरों के लिए शर्तें:

- a) ड्राइवर आगमन वाले अतिथि/अधिकारी का नामप्लेट धारण करेंगे तथा एयरपोर्ट निकास स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
- b) ड्राइवर अंग्रेजी एवं हिंदी में बातचीत करने में सक्षम, सुशिक्षित एवं अनुभवी होंगे।
- c) ड्राइवर चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होंगे एवं कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
- d) ड्राइवर के पास मोबाइल फोन होगा तथा गंतव्य मार्ग की जानकारी होगी।
- e) ड्राइवर निर्धारित समय एवं स्थान पर साफ-सुथरे वर्दी में उपस्थित होंगे।
- f) ड्राइवर बैंक के निर्देशों का पालन करेंगे तथा सुरक्षा नियमों का ध्यान रखेंगे।
- g) बैंक के सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
- h) ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- i) ड्राइवर दैनिक किलोमीटर रिकॉर्ड रखेंगे तथा अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापित कराएंगे।
- j) ड्राइवर विनम्र, सहायक तथा ग्राहक-मुखी होंगे।
- k) अनुबंधक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध तुरंत समाप्त किया जा सकता है।
- l) सभी वाहन दस्तावेज (बीमा, पंजीकरण, रोड टैक्स, पर्यावरण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परमिट आदि) वाहन में उपलब्ध रहेंगे।
- m) अनुबंधक के कर्मचारी बैंक के कर्मचारी नहीं होंगे तथा उन्हें बैंक में रोजगार का अधिकार नहीं होगा।

5. संचालन संबंधी शर्तें:

- a) सफल टेंडरदाता/अनुबंधक बैंक के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा फोन पर लिखित या मौखिक निर्देश प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर टैक्सी प्रदान करेगा। यदि बार-बार बैंक के अनुरोध पर वाहन प्रदान करने से इनकार किया जाता है (चाहे मौखिक या लिखित रूप में), तो बैंक अनुबंधक को परिवहन प्रदाताओं की सूची से हटा सकता है तथा उसकी प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) जब्त कर लेगा।
- b) सफल टेंडरदाता/अनुबंधक बुकिंग की पुष्टि सीधे अतिथि को ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा तथा कम से कम 8 घंटे पूर्व उपयोगकर्ता के आगमन/प्रस्थान से पूर्व, कार के विवरण (कार का ब्रांड/रंग, पंजीकरण संख्या, ड्राइवर का नाम एवं संपर्क नंबर) कार डेस्क (आरबीआई, पणजी) के अधिकारियों को अवश्य भेजेगा।

- c) सफल टेंडरदाता/अनुबंधक को बैंक को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में आपातकालीन परिवहन की व्यवस्था करने की क्षमता होनी चाहिए।
- d) बोलीदाता द्वारा प्रत्येक वाहन एवं उसकी श्रेणी के लिए प्रस्तावित न्यूनतम दरें (संकेतात्मक दरों से अधिक या बराबर) अन्य सभी योग्य बोलीदाताओं को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- e) सफल टेंडरदाता/अनुबंधक अनुबंध अवधि के दौरान लागू सभी कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा, जिसमें शामिल हैं: (i) वेतन संहिता, 2019, (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, (iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता, 2020 (OSHCW संहिता, 2020), (v) नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938, (vi) बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा (vii) अन्य लागू कानून।
- f) बैंक यात्रा आरंभ बिंदु एवं अंत बिंदु के बीच वास्तविक यात्रा के लिए भुगतान करेगा। हालांकि, एजेंसी को यात्रा के पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ बिंदु पर किलोमीटर का सही उल्लेख करना अनिवार्य है। पणजी स्थित बैंक के कार्यालय को सभी यात्राओं का आरंभ बिंदु माना जाएगा।
- g) भाग II (मूल्य बोली) में उल्लिखित हवाई अड्डा शुल्क, पणजी स्थित होटल/हवाई अड्डे से अधिकृत अतिथि के पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ बिंदु के आधार पर गणना किया जाएगा। पणजी के अलावा अन्य स्थान से हवाई अड्डा यात्रा की दूरी अलग से गिनी जाएगी तथा बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी।
- h) चूंकि यह अनुबंध प्राप्त प्रतिस्पर्धी बोलियों पर आधारित है, अनुबंध आवंटन हेतु सबसे निम्न दरें लागू होंगी।
- i) सेवा के प्रत्येक अतिथि/उपयोगकर्ता को यात्रा आरंभ से पूर्व प्रतिक्रिया प्रपत्र (Annex E के अनुसार) प्रदान किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर को इस प्रपत्र पर अवश्य लेना चाहिए तथा भुगतान हेतु ड्यूटी स्लिप के साथ बैंक को जमा करना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया देने से इनकार करता है, तो ड्राइवर द्वारा उसे प्रपत्र के अंतिम पंक्ति में "मैं यात्रा के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने से इनकार करता हूं" के बॉक्स को चिह्नित करने एवं हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया जाएगा। प्रतिक्रिया प्रपत्र के बिना या उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर रहित भुगतान बिल बैंक द्वारा अस्वीकार किए जा सकते हैं।

## 6. दंडात्मक कार्रवाई

सेवा में कमी, बैंक एवं उसके अधिकारियों या सेवा प्राप्तकर्ताओं को हुई गंभीर असुविधा के लिए निम्नानुसार दंड लगाया जाएगा। बैंक द्वारा दंड लगाने का निर्णय अंतिम होगा। दंड की वसूली बिल से कटौती या प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) से की जाएगी:

- a) देरी से रिपोर्टिंग पर प्रत्येक अगले आधे घंटे या उसके भाग के लिए ₹500/-।
- b) वाहन में अनुपस्थित प्रत्येक सुविधा (समाचार पत्र, बिसलेरी/समतुल्य पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर, टिशू, फेस मास्क, छाता आदि) पर ₹500/-।
- c) ड्राइवर द्वारा गाड़ी चलाते समय पान/गुटखा खाने या धूम्रपान करने पर ₹1,000/-।
- d) ड्यूटी स्लिप में समय/किलोमीटर संबंधी गलत/अतिरंजित प्रविष्टि पाए जाने पर ₹2,000/-।
- e) अतिथि के साथ ड्राइवर द्वारा अनुचित व्यवहार करने पर ₹2,000/-।

f) वाहन खराब होने पर एक घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था न करने पर ₹2,000/-। अनुबंधक, बैंक द्वारा इस संदर्भ में हुए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

g) ड्राइवर द्वारा शराब/नशीले पदार्थों के प्रभाव में पाए जाने पर ₹5,000/-।

h) ऑर्डर किए गए कार के प्रकार/मॉडल में कमी होने पर बिल की राशि का आधा भाग दंड के रूप में लगाया जाएगा।

बैंक को टेंडर दस्तावेज के भाग I में उल्लिखित अन्य किसी भी कमी/सेवा में लापरवाही/हानि के लिए कोई भी राशि दंड के रूप में लगाने का अधिकार है। एक ही ड्यूटी में एक से अधिक कमी रिपोर्ट होने पर बैंक द्वारा सभी दंड लगाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

## 6. अन्य दिशानिर्देश

a) सफल टेंडरदाता बैंक के साथ कार्य आवंटन पत्र प्राप्ति के 7 कार्यदिवसों के भीतर ₹500/- से कम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध (Annex F के अनुसार) पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करना बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा। अनुबंध सामान्यतः एक वर्ष के लिए वैध रहेगा, जिसे बैंक द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर दो वर्ष तक (एक वर्ष में) नवीनीकृत किया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क सफल टेंडरदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

b) बैंक को 31 मार्च, 2029 तक अनुबंध को एक वर्ष की अवधि में बढ़ाने का अधिकार है, जो सेवा प्रदाता के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अनुबंधक द्वारा किसी भी दायित्व का उल्लंघन करने पर बैंक द्वारा तुरंत अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

c) अनुबंध समाप्ति तिथि या अनुबंध अवधि के दौरान तीन पूर्ण कैलेंडर माह की पूर्व सूचना देकर किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

d) टेंडरदाता द्वारा भाग I एवं भाग II में कोई शर्तें नहीं दर्शाई जानी चाहिए। यदि कोई शर्त उल्लिखित पाई जाती है, तो वह "अमान्य" मानी जाएगी।

e) कोई भी प्रतिबंधित टेंडर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

f) टेंडरदाता को MSTC पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व टेंडर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।

## 7. अदालत का अधिकार क्षेत्र:

इस समझौते से उत्पन्न या इससे किसी भी तरह से संबंधित सभी विवाद पणजी में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल पणजी की अदालतों को उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा।

## 8. कर:

(a) टेंडरकर्ता के पास सभी लागू कर पंजीकरण (पैन, टीआईएन, जीएसटी आदि) होने चाहिए (कृपया उनकी प्रतियां संलग्न करें)।

(b) उद्धृत दरों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए/लगाए जाने वाले सभी करों को शामिल माना जाएगा, जीएसटी आदि को छोड़कर। यदि टेंडरकर्ता ऐसे करों और शुल्कों को टेंडर में शामिल नहीं करता है, तो बैंक उनका कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू सभी करों को समय-समय

पर संशोधित किए जाने पर उनका स्रोत पर कटौती की जाएगी और ठेकेदार को इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बैंक वर्तमान मानदंडों/दिशा-निर्देशों/कानूनों के अनुसार बिलों से सभी आवश्यक कानूनी कटौतियां करेगा।

#### 9. भुगतान से संबंधित शर्तें:

a) बैंक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के अलावा, बिलों का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा और बिलों के सभी प्रमाण पत्रों के साथ पूर्ण रूप से प्रस्तुत होने के 45 दिनों के भीतर नहीं किया जाएगा। सफल टेंडरकर्ता/ठेकेदार को अपने खाते के विवरण प्रदान करने चाहिए।

b) पार्किंग और टोल शुल्क, राज्य प्रवेश/निकास शुल्क वास्तविक आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किए जाएंगे।

c) स्थानीय ड्यूटी के लिए, सफल टेंडरकर्ता/ठेकेदार को अपने गैराज का स्थान बताना होगा, जिसे किलोमीटर की गणना के लिए ड्यूटी का आरंभिक बिंदु माना जाएगा।

d) प्रातः 07:00 बजे से पहले ड्यूटी पर आने या शाम 08:00 बजे के बाद ड्यूटी पर आने/जारी रखने के लिए सुबह के शुल्क/रात के शुल्क लगाए जाएंगे।

हालांकि, सुबह के शुल्क और रात के शुल्क दोनों उसी दिन प्रातः 07:00 बजे से पहले ड्यूटी पर आने और शाम 08:00 बजे के बाद ड्यूटी जारी रखने के लिए लगाए जाएंगे।

e) यदि सफल टेंडरकर्ता/ठेकेदार बैंक द्वारा बुक की गई वाहन श्रेणी के लिए अनुरोधित श्रेणी का वाहन प्रदान नहीं कर सकता है, तो वह उच्च श्रेणी का वाहन प्रदान करेगा। हालांकि, भुगतान बैंक द्वारा अनुरोधित वाहन श्रेणी के लिए किया जाएगा। किसी भी स्थिति में, ठेकेदार निम्न श्रेणी का वाहन प्रदान नहीं करेगा।

10. क्षतिपूर्ति: सफल टेंडरकर्ता/ठेकेदार अपने द्वारा तैनात ड्राइवरों के कारण अनुबंध की अवधि के दौरान व्यक्तियों या इमारतों या तीसरे पक्ष को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त के अभाव में, बैंक के पास सफल टेंडरकर्ता/ठेकेदार/पीबीजी के लंबित बिलों से बैंक को हुए नुकसान या क्षति की लागत वसूल करने का अधिकार है।

11. यौन उत्पीड़न: सफल टेंडरकर्ता/ठेकेदार "महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" और समय-समय पर संशोधित उसके प्रावधानों के पूर्ण पालन के लिए एकमात्र उत्तरदायी होगा। यदि बैंक के परिसर में उसके कर्मचारी के खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो शिकायत ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी सुनिश्चित करेगा कि उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए। ठेकेदार के किसी भी अधिकारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में, बैंक द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति उस पर विचार करेगी। यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न सिद्ध होता है, तो ठेकेदार बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली किसी भी मौद्रिक राहत के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार को अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

#### 12. बलात्कार (फोर्स मेजर):

कोई भी पक्ष (या उसके नाम पर कार्य करने वाला कोई व्यक्ति) इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व (भुगतान संबंधी दायित्व को छोड़कर) को पूरा न करने के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं रखेगा, बशर्ते और जब तक ऐसे दायित्व को पूरा करना बलात्कार की परिस्थितियों के कारण रोका जाता है, असंभव हो जाता है, बाधित होता है या विलंबित होता है।

#### 14. गोपनीयता:

सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार बैंक और उसके व्यवसाय, वित्त, लेन-देन या अन्य मामलों से संबंधित किसी भी जानकारी को, जो अनुबंध की अवधि के दौरान सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार के ज्ञान में आ सकती है, इस समझौते के तहत उसके कर्तव्यों द्वारा अनुमोदित या आवश्यक होने के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्था को प्रकट या उजागर नहीं करेगा, और सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार सभी गोपनीय जानकारी (जिसमें बैंक के अतिथि/ अधिकारियों के यात्रा/ अन्य विवरण शामिल हैं, जिनके लिए वाहन किराए पर लिया जा रहा है) को पूर्ण गोपनीयता में रखेगा और ऐसी किसी भी जानकारी का उपयोग या उपयोग का प्रयास नहीं करेगा जो सीधे या परोक्ष रूप से बैंक के हितों को खतरे में डाल सकता है। यह प्रतिबंध समझौते के समाप्त होने के बाद भी समय के संदर्भ में किसी सीमा के बिना लागू रहेगा, लेकिन उस जानकारी या ज्ञान पर लागू नहीं होगा जो सार्वजनिक डोमेन में आ जाती है।

सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कदम उठाएगा ताकि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गोपनीयता के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन किया जा सके।

#### 15. सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार का दिवालियापन या मृत्यु:

यदि सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार को दिवालिया घोषित किया जाता है या स्वैच्छिक रूप से विलीन हो जाता है या लागू दिवालियापन कानून के तहत आदेश प्राप्त करता है या किसी भी प्रस्ताव का पारित होना या विलीनता के लिए कोई आदेश जारी होना, चाहे स्वैच्छिक रूप से हो या अन्यथा, या यदि सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार इसमें निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन नहीं करता है, तो बैंक को पूर्व सूचना के बिना अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार के वारिस/ प्रतिनिधि/ उत्तराधिकारी सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार की मृत्यु / फर्म / कंपनी के अस्तित्व के समाप्त होने / इसकी संरचना में परिवर्तन या व्यवसाय के हस्तांतरण की स्थिति में बैंक की लिखित सहमति के बिना अनुबंध के तहत सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार के कर्तव्यों या अनुबंधों को जारी रखने का अधिकार नहीं रखेंगे। यदि सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार, उपरोक्त सहमति के साथ, अपना व्यवसाय हस्तांतरित करता है, और यदि सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार एक कंपनी है और इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने व्यवसाय को किसी व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य और उद्देश्य के लिए विलीन हो जाता है, तो सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार अपनी संपत्ति और व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए अनुबंध की एक शर्त और प्रावधान बनाएगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी इस अनुबंध के तहत सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार के कर्तव्यों या अनुबंधों को जारी रखेगा और उसके दायित्वों के अधीन होगा। इस संबंध में संबंधित दस्तावेज बैंक को सौंपे जाएंगे। इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपाय के बिना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकल स्वामित्व के मामले में, यदि सफल टेंडरदाता/ ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक को बिना किसी भुगतान के विधिक वारिसों को और नोटिस अवधि के बिना अनुबंध समाप्त करने का विकल्प होगा, जो अनुबंध का उल्लंघन नहीं होगा।

#### 16. मूल्यांकन मानदंड:

a. तकनीकी मूल्यांकन:

टेंडरकर्ताओं को योग्यता मानदंडों के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। दी गई जानकारी का निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा:

क्र. सं.	विवरण	योग्यता मानदंड
1	अच्छी तरह से रखरखाव वाली कारों के बेड़े का आकार (योग्यता मानदंडों में निर्दिष्ट मॉडल)	श्रेणियों के अनुसार न्यूनतम 10 कारें
2	कारों के किराए पर उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अनुभव	न्यूनतम 5 वर्ष, जिसमें पिछले 3 वर्षों में से कम से कम 1 वर्ष का अनुभव सम्मानित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकार या अर्ध-सरकारी संगठनों / वाणिज्यिक बैंकों / प्रतिष्ठित निजी कॉर्पोरेशनों को कार किराए पर उपलब्ध कराने में होना चाहिए
3	टेंडर के लिए अधिसूचित न्यूनतम 10 वाहनों के बेड़े की औसत आयु	3 वर्ष से कम
4	तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम ₹20 लाख, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2022-23	₹20 लाख से कम नहीं

यदि टेंडरकर्ता उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो संबंधित बोली अस्वीकार कर दी जाएगी, और बैंक उस टेंडरकर्ता की वित्तीय/मूल्य बोली नहीं खोलेगा।

b. वित्तीय बोली मूल्यांकन

i. प्रत्येक वाहन और उसकी श्रेणी के लिए योग्य बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित/उद्धृत दरों में से न्यूनतम दर सभी अन्य योग्य बोलीदाताओं को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

ii. बैंक द्वारा तैयार की गई उद्धृत दरों की तालिका, जो तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाए गए बोलीदाताओं द्वारा प्रत्येक वाहन श्रेणी (सूचकांक दरों से अधिक, बराबर या कम) के लिए सबसे कम दरों पर आधारित होगी, सभी सफल बोलीदाताओं के लिए लिखित रूप से स्वीकृति के लिए साझा की जाएगी। यदि बैंक द्वारा मांगा जाए, तो सूचकांक दरों से +/-5% अधिक या कम दर उद्धृत करने वाले बोलीदाताओं को लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

iii. उपरोक्त में से केवल वे बोलीदाता एम्पैनलमेंट के लिए विचार किए जाएंगे जो बैंक द्वारा प्रत्येक वाहन श्रेणी के लिए प्रस्तावित दरों पर कार्य करने के लिए लिखित रूप से सहमत होंगे, जैसा कि बिंदु 16.b.ii में उल्लिखित है।

iv. कीमत बोली के लिए कोई शर्तें या प्रावधान नहीं दर्शाए जाने चाहिए, अन्यथा उसे अमान्य माना जाएगा।

c. अन्य शर्तें:

i. बैंक उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते या टेंडर शर्तों के लिए अप्रासंगिक माने जाते हैं, वित्तीय बोलियों के खुलने से पहले। सूचना केवल बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए ई-मेल पर भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता को बैंक से केवल ई-मेल के माध्यम से [allotmentpanaji@rbi.org.in](mailto:allotmentpanaji@rbi.org.in) और [pulkitagrawal@rbi.org.in](mailto:pulkitagrawal@rbi.org.in) पर संपर्क करना चाहिए। बोलीदाता का कर्तव्य होगा कि वह बैंक द्वारा भेजी गई किसी भी संचार (स्पैम फोल्डर सहित) की नियमित जांच करे। यदि बोलीदाता अपने ई-मेल की जांच नहीं करता है या ई-मेल अप्राप्य हो जाती है क्योंकि मेलबॉक्स भरा हुआ है/था, तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

ii. बोली के भाग I और II को उन बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चुनें। अधिकृत प्रतिनिधि अपने साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाया गया अधिकृत पत्र लाएंगे। बोलीदाता का नाम और प्रस्तावित मूल्य बोली खोलने के दौरान उपस्थित बोलीदाताओं को बताए जाएंगे।

iii. स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार: बैंक सबसे कम या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बोली का पूरा या आंशिक भाग स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना किसी कारण बताए।

मैं / हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/हमने उपरोक्त निर्देशों को पढ़ा और समझा है जो बोलीदाताओं के मार्गदर्शन के लिए हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर:

मुहर / स्टैम्प:

तिथि:

स्थान:

भाग II – वित्तीय बोली

वाहनों के प्रकार\$	सूचक दरें~	डीज़ायर / अमेज़ और अन्य समान श्रेणी के वाहन (रुपये में दरें)
हवाई अड्डा पिकअप / ड्रॉप#		
1. हवाई अड्डा शुल्क – डाबोलिम	1989	
2. हवाई अड्डा शुल्क – मोपा	2310	
गोवा राज्य के भीतर स्थानीय कार्य*		
1. अधिकतम 8 घंटे / 80 किमी	3208	
2. अतिरिक्त घंटा	257	
3. अतिरिक्त किमी	32	
4. प्रारंभिक सुबह **	354	
5. रात के शुल्क**	514	
गोवा राज्य के बाहर कार्य		
1. अधिकतम 250 किमी	7057	
2. अतिरिक्त किमी	32	
3. ड्राइवर हॉल्टिंग अनुदान	770	
4. प्रारंभिक सुबह / रात के शुल्क**	776	

वाहनों के प्रकार\$	सूचक दरें~	Ertiga / Carens और अन्य समान श्रेणी के वाहन (दरें ₹ में)
हवाई अड्डा पिकअप / ड्रॉप#		
1. हवाई अड्डा शुल्क – दाबोलिम	2374	
2. हवाई अड्डा शुल्क – मोपा	2952	
गोवा राज्य के भीतर स्थानीय ड्यूटी*		
1. अधिकतम 8 घंटे / 80 किमी तक	3247	
2. अतिरिक्त घंटा	282	
3. अतिरिक्त किमी	36	
4. प्रारंभिक सुबह **	354	
5. रात के शुल्क**		
गोवा राज्य के बाहर ड्यूटी		
1. अधिकतम 250 किमी तक	8982	
2. अतिरिक्त किमी	36	
3. ड्राइवर हॉल्टिंग अनुदान	770	
4. प्रारंभिक सुबह / रात के शुल्क**	776	

वाहनों के प्रकार\$	सूचक दरें~	Innova Crysta और अन्य समान श्रेणी के वाहन (दरें ₹ में)
हवाई अड्डा पिकअप / ड्रॉप-ऑफ#		
1. हवाई अड्डा शुल्क – दाबोलिम	2631	
2. हवाई अड्डा शुल्क – मोपा	3208	
गोवा राज्य के भीतर स्थानीय ड्यूटी *		
1. अधिकतम 8 घंटे / 80 किमी तक*	4491	
2. अतिरिक्त घंटा	385	
3. अतिरिक्त किमी	42	
4. प्रारंभिक सुबह **	354	
5. रात के शुल्क**	514	
गोवा राज्य के बाहर ड्यूटी		
1. अधिकतम 250 किमी तक	10906	
2. अतिरिक्त किमी	43	
3. ड्राइवर हॉल्टिंग अनुदान	770	
4. प्रारंभिक सुबह / रात के शुल्क**	898	

~उपरोक्त उल्लिखित दरें केवल सूचकात्मक प्रकृति की हैं। विक्रेता अपनी विवेकानुसार दरें प्रस्तुत कर सकते हैं।

#पार्किंग और टोल शुल्क, राज्य प्रवेश / निकास शुल्क दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वास्तविक आधार पर भुगतान किए जाएंगे।

\* स्थानीय ड्यूटी के लिए, बैंक का पणजी में कार्यालय विक्रेता की गैरेज के स्थान के रूप में माना जाएगा जो किलोमीटर की गणना के लिए ड्यूटी का आरंभिक बिंदु माना जाएगा।

\*\* प्रारंभिक सुबह शुल्क / रात के शुल्क सुबह 07.00 बजे से पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए या शाम 08.00 बजे के बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट करने और / या जारी रखने के लिए लगाए जाएंगे।

हालांकि, दोनों, अर्थात प्रारंभिक सुबह शुल्क और रात के शुल्क, सुबह 07.00 बजे से पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए और शाम 08.00 बजे के बाद ड्यूटी जारी रखने के लिए उसी दिन लगाए जाएंगे।

\$विक्रेता अपने पास उपलब्ध अन्य कारों के लिए भी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं। उच्च-अंत कारों/टैक्सियों के लिए, जो अवधि-अवधि पर आवश्यक होंगे, दरें सफल बोलीदाता/ओं से आवश्यकता पड़ने पर आमंत्रित की जाएंगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर, मुहर और तारीख

**PROFORMA OF PERFORMANCE BANK GUARANTEE**

(On Non-Judicial Stamp Paper of appropriate technical bid purchased in the name of the issuing bank)

Place:

Date:

To,  
The Regional Director  
Reserve Bank of India  
Panaji

Dear Sir,

Empanelment of Car Hiring Agencies/ Taxi Operators for Providing Vehicles to Reserve Bank of India, Panaji

WHEREAS

Reserve Bank of India, having its Office at Patto Plaza, Panaji (hereinafter called "the RBI") has awarded the contract for the captioned work (hereinafter called the "Contract") to M/s (Name of \_\_\_\_\_ the \_\_\_\_\_ Contractor) (hereinafter called "the said Contractor" which expression shall include its successors and assigns). AND Whereas the contractor is bound by the said contract to submit to RBI a Performance Security for a total amount of ₹ \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ (amount in figures and words) for the due fulfilment by the said contractor of the terms and conditions contained in the contract. We (Name of the Bank), (hereinafter called "the Bank"), at the request of M/s \_\_\_\_\_ the Contractor, do hereby undertake to pay to the RBI an amount not exceeding ₹ \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ as Performance Guarantee for due fulfilment of the terms and conditions of the contract.

NOW THIS GUARANTEE WITNESSETH

1. We (Name of the Bank) do hereby agree with and undertake to RBI, their successors, assignees that in the event of RBI coming to the conclusion that the Contractor has not performed his obligations under the said conditions of the contract or have committed a

breach thereof, which conclusion shall be binding on us as well as the said contractor; we shall on demand by the RBI, pay without demur to RBI a sum of Rs. (Rupees only) or any lower amount that may be demanded by RBI.

2. Our guarantee shall be treated as equivalent to the Performance Guarantee Amount for the due performance of the obligations of the contractor under the said Contract, provided, that our liability against such sum shall not exceed the sum of ₹\_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_).

3. We also agree to undertake and confirm that the sum not exceeding Rs. (Rupees only) as aforesaid shall be paid by us without any demur or protest, merely on demand from RBI on receipt of a notice in writing stating that the amount is due to them and we shall not ask for any further proof or evidence and the notice from RBI shall be conclusive and binding on us and shall not be questioned by us in any respect or manner whatsoever. The Bank shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal. We undertake to pay the amount claimed by RBI within a period of one week from the date of receipt of the notice as aforesaid.

4. We confirm that our obligation to RBI under this guarantee shall be independent of the agreement or agreements or other understandings between RBI and the contractor.

5. This guarantee shall not be revoked by us without prior consent in writing of the RBI. We hereby further agree that –

a) Any forbearance or commission on the part of RBI in enforcing the conditions of the said agreement or in compliance with any of the terms and conditions stipulated in the said contract and/or hereunder or granting of any time or showing of any indulgence by RBI to the contractor or any other matters in connection therewith shall not discharge us in any way and our obligation under this guarantee. This guarantee shall be discharged only by the performance by the contractor of their obligations and in the event of their failure to do so, by payment by us of the sum not exceeding Rs. (Rupees only).

b) Our liability under these presents shall not exceed the sum of ₹\_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_).

\_\_\_\_\_.

- c) Our liability under this agreement shall not be affected by any infirmity or irregularity on the part of our said constituents/clients or their obligations there under or by dissolution or change in the constitution of our said constituents.
- d) This guarantee shall remain in force up to (8 months from the commencement of the Contract) provided that if so desired by RBI, this guarantee shall be renewed for a further period as may be indicated by them on the same terms and conditions as contained herein.
- e) Our liability under these presents will terminate unless these presents are renewed as provided hereinabove or on the day when our said constituents comply with their obligations, as to which a certificate in writing by RBI alone is the conclusive proof whichever date is later. Unless a claim or suit or action is filed against us within or any extended period, all the rights of RBI against us under this guarantee shall be forfeited and we shall be released and discharged from all our obligations and liabilities hereunder.

In witness whereof, I/We of the Bank have signed and sealed this guarantee on the \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_(Month) \_\_\_\_\_(Year) being herewith duly authorized.

For and on behalf of (Name of the Bank) Signature of authorized Bank official  
Name:

Designation

Stamp/ Seal of the Bank

Email Id:

Signed, sealed and delivered for and on behalf of the Bank by the above named in the presence of:

Witness 1

Signature ..... Name .....

Address .....

(NB: This guarantee will require stamp duty as applicable in the state, where it is executed and shall be signed by the official whose signature and authority shall be verified).

**Work Experience**

**List of works executed by the tenderer during the last 5 years**

<b>Sr. No .</b>	<b>Details of services provided</b>	<b>Name &amp; address of the organization with contact details</b>	<b>Amount (for entire annual contract )</b>	<b>Whether services were provided for the originally contracted length of time or not</b>	<b>No. of years dealing with the organization From - Upto (mm-yy) (mm-yy)</b>	<b>Cars provided on call hire basis under the existing work agreements. Yes/ No</b>	<b>Type of Cars Provided under the Contract</b>

Signature of the applicant / authorised signatory

**Format of Client Work Order Report/ Client Certificate**

**Empanelment of Car hiring agencies/ Companies/ Taxi operators by Reserve Bank of India, Panaji - Confidential Report of M/s \_\_\_\_\_**

1. Details of work/s executed.
  - i. Name of organization
  - ii. Period of contract/ agreement
  - iii. Value of contract
  - iv. Total payment received during the period of the contract.
2. Type of Vehicles provided by the bidder/ contractor
3. Quality of vehicles provided by the firm
3. Quality of driver/s provided by the firm
4. Integrity and reliability of the partners/ proprietor of the firm.
5. Whether any penalty was imposed in the last one-year period. (If yes, provide details)
6. Any other information which you consider will help us in making our decision

Signature & stamp of the competent authority:

Designation of the competent authority:

Name of the organization:

**Format of Bank Report**


**Empanelment of Car hiring agencies/ Companies/ Taxi operators by Reserve Bank of India, Panaji - Confidential Report on the means and standing of the company/ firm/ concern to be furnished by the Bank of the Bidder**

1. Name of the Firm/ Agency/ Company
2. Account Type and Number
3. Name of Proprietor/ Partner/s
4. Turnover of the firm
5. Credit facility/OD facility availed by the firm
6. Dealing of the firm
7. The Period from which the firm/ agency/ company has been banking with your bank
8. Remarks

Signature of Branch Manager with seal

Name of the bank with address:

**Feedback Form**



**कार सेवाओं पर प्रतिक्रिया (फीडबैक)**

**(कार एजेंसी को 1 से 6 तक विवरण भरना होगा)**  
(आरबीआई अधिकारी से अनुरोध है कि मद सं. 7 से 11 भरें)

1. अतिथि का नाम / Name of the Guest: \_\_\_\_\_
2. कार एजेंसी का नाम / Name of Car Agency: \_\_\_\_\_
3. तिथि / Date(s): \_\_\_\_\_
4. वाहन टाइप/Vehicle type: \_\_\_\_\_ 5. वाहन नंबर/Vehicle Number: \_\_\_\_\_
6. ड्राइवर नाम / Driver's Name: \_\_\_\_\_
7. वाहन का रखरखाव Maintenance / upkeep of the Vehicle:  
\_\_\_\_\_

8. क्या अनिवार्य वस्तुएं (पानी की बोतलें, टिश्यू, समाचार पत्र, छाता, आग बुझाने का यंत्र, मोबाइल चार्जर और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स) कार में प्रदान की जाती हैं/ Whether mandatory items (Water Bottles, Tissues, Newspapers, Umbrella, Fire-extinguisher, Mobile Charger and First-aid Box) are provided in the car:  
\_\_\_\_\_

9. ड्राइवर का ज्ञान और बर्ताव /Attitude of the Driver and knowledge of routes:  
\_\_\_\_\_

10. अन्य कोई टिप्पणी/सुझाव / Any other Comments / Suggestions:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

11. प्रारंभिक कि.मी./Opening Kms: \_\_\_\_\_ समाप्ति कि.मी./Closing Kms: \_\_\_\_\_

I am not willing to provide the feedback for the journey

(आरबीआई अधिकारी का हस्ताक्षर / Signature of RBI Official)

**Format of Agreement for Car Hire / वाहन किराए पर लेने के लिए समझौते का प्रारूप**

**करार / AGREEMENT**

1. यह करार पणजी, गोवा में मार्च 2026 के महीने के \_\_\_ दिन को किया गया है। \_\_\_\_\_ (बाद में "प्रथम पक्ष" के रूप में संदर्भित), जिसका कार्यालय \_\_\_\_\_ में है और जिसका प्रतिनिधित्व इसके मालिक, \_\_\_\_\_ एक भाग के रूप में और भारतीय रिज़र्व बैंक, इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक निकाय कॉर्पोरेट है और इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है, जिसका प्रतिनिधित्व पणजी, गोवा में द्वितीय पक्ष के रूप में, श्री पुलकित अग्रवाल, सहायक महाप्रबंधक \_\_\_\_\_ द्वारा किया जाता है।

THIS AGREEMENT is made at Panaji, Goa on \_\_\_ day of the month of **March 2026**.

\_\_\_\_\_ (hereinafter referred to as "**The First Party**"), having its Office at \_\_\_\_\_ and represented by its proprietor, \_\_\_\_\_ of the **First Part** and the Reserve Bank of India, hereinafter called "**the Bank**", a body corporate established under the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934 and having its head office at Mumbai, represented by AGM at Panaji, Goa of the **Second Part**.

प्रथम पक्ष और बैंक को साथ में "पक्ष" कहा जाएगा और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा जाएगा। निविदा दस्तावेज में निहित शर्तें और शर्तें तथा जारी किए गए किसी भी स्पष्टीकरण (सुधार) को इस समझौते का अभिन्न अंग माना जाएगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

The First Party and the Bank are together referred to as "the Parties" and individually as "Party". The terms and conditions contained in the tender document and any clarifications (corrigenda) issued shall be treated as part and parcel of this agreement and shall be binding on the parties.

2. जबकि "प्रथम पक्ष" के पास बैंक को किराए पर कार उपलब्ध कराने के लिए कारों का अपना बेड़ा है। प्रथम पक्ष और बैंक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक 12 महीने की अवधि के लिए प्रथम पक्ष बैंक को कार उपलब्ध करेगा।

Whereas "The First Party" has its own fleet of cars for providing cars on hire to the Bank on the terms and conditions mutually agreed between the First Party and the Bank for a period of **12 months from April 01, 2026, to March 31, 2027**.

3. जबकि दोनों पक्ष बैंक के अधिकारियों, अतिथियों, वीआईपी को टूर, विजिट, आदि पर कार प्रदान करने के लिए जाने वाले नियमों और शर्तों के दिशा-निर्देशों, निदेशों को रिकॉर्ड करने के इच्छुक हैं।

Whereas both the parties hereto are desirous of recording the terms and conditions, Guidelines and Instructions to be followed for providing cars to Officers, Guests, VIPs of the Bank on tour, visit/etc.

प्रथम पक्ष यह सुनिश्चित करने का वचन देता है कि / The First Party undertakes to ensure that:

i. सभी कारों को वातानुकूलित होना चाहिए और "प्रथम पक्ष" द्वारा विभिन्न श्रेणियों के वाहनों जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, टोयोटा इटियोस, होंडा सिटी, मारुति सुजुकी एर्टिगा, टोयोटा इनोवा, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय / बाहरी यात्रा के लिए वैध टैक्सी होना चाहिए।

All Cars shall be Air-Conditioned and "**The First Party**" shall be able to provide different categories of vehicles such as Maruti Suzuki Swift Dzire, Toyota Etios, Honda City, Maruti Suzuki Ertiga, Toyoto Innova, Toyota Innova Crysta and other similar vehicles with valid taxi permits to travel locally / outstation as and when required by the Bank.

ii. सभी कारों को साफ असबाब, सड़क पर चलने योग्य टायर, पर्याप्त रूप से ईंधन और अधिमानतः 3 साल से अधिक पुराने नहीं होने के साथ, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। सभी वाहनों में वैध बीमा कवर होना चाहिए।

All cars should be in good condition with clean upholstery, roadworthy tyres, adequately fuelled and preferably not more than 3 years old. All the vehicles should have valid insurance cover.

iii. सभी कारों के इंटीरियर और एक्सटीरियर को अच्छी और परेशानी मुक्त स्थिति में रखा जाना चाहिए। "प्रथम पक्ष", "बैंक" को प्रदान की जा रही कारों में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का भी वचन देता है:

All cars' interiors as well as exteriors should be clean and maintained in good running and trouble-free condition. "The First Party" also undertakes to provide the following amenities in the cars being provided to the Bank:

- a. एक अंग्रेजी समाचार पत्र; One English newspapers.
- b. बिसलेरी, किनले, एक्वाफिना, हिमालय आदि जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की प्रति 500 मिली. की दो पानी की बोतलें।  
/ Two water bottles of 500 ml each of reputed brand such as Bisleri, Kinley, Aquafina, Himalaya etc
- c. फेस टिशू पेपर- केस या पाउच में (गीले एवं सूखे) / face tissue papers in case/pouch (wet & dry)
- d. सीलबंद पैकेट/कवर में दो डिस्पोजेबल फेस मास्क / two disposable face masks in sealed packet/cover/
- e. एक छतरी / One Umbrella
- f. अग्निशामक यंत्र, यूनिवर्सल मोबाइल चार्जर और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। / Fire-extinguisher, Universal mobile charger and first-aid box.
- g. हैंड सैनिटाइज़र / Hand sanitizer

उपर्युक्त मदों की अनुपस्थिति में प्रत्येक मद के लिए बिल से निर्धारित दंडात्मक कटौती, की जाएगी।

The absence of items mentioned above shall attract penal deduction, as agreed, from the bill.

4. ड्राइवर को स्वच्छ और साफ वर्दी में निर्दिष्ट समय और स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा।

The driver must report for duty at specified time and place in neat and clean uniform.

(i) ड्राइवरोके पास अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए, हर समय विनम्र, सरल और सेवा उन्मुख होना चाहिए और ड्राइविंग का उचित अनुभव होना चाहिए। उन्हें शिष्टाचार और संचार के नियमों/विनियमों के बारे में समय-समय पर प्रशिक्षित/अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए।

The drivers should have good moral character, should be polite, courteous and service oriented at all times and should have reasonable experience of driving. They should be periodically trained/updated on rules/regulations of etiquette and communication. Besides they should be able to converse in English and Hindi.

(ii) ड्राइवरोके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी बैज होंगे और जिन्हें यातायात कर्मियों / बैंक अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर पेश किया जाएगा। वे नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के उल्लंघन के मामले में यातायात प्राधिकरण द्वारा लगाए गए पथकर/जुर्माने का भुगतान करने में सक्षम होने चाहिए। समय-समय पर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण "प्रथम पक्ष" की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

The drivers shall have valid driving licenses and taxi badges, and which shall be produced as and when demanded by traffic personnel/Bank officials. They should be able to pay tolls/fine as imposed by Traffic Authority in case of break of rules and regulations, if any. Renewal of the driving licenses from time to time shall be the sole responsibility of "the First Party".

(iii) चालक बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे और बचाव और सुरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।

The drivers shall comply with the orders given by authorized officers of the Bank and will also observe the rules and regulations of the Bank regarding safety and security.

(iv) ड्राइवरोको बैंक के अतिथि / उपयोगकर्ता अधिकारियों के आगमन पर स्वागत करना चाहिए, टेलीफोन का उत्तर देना चाहिए, उनके प्रश्नों या शिकायतों, को संभालना/निपटाना चाहिए।

The Drivers should greet the guest / user officers of the Bank as they arrive, answer their telephone, handle their questions or complaints, if any.

(v) बैंक के अतिथि / उपयोगकर्ता अधिकारी को रिपोर्ट करने के बाद ड्राइवर को हमेशा उस स्थान पर कार के साथ उपलब्ध होना चाहिए जहां कार पार्क की गई है।

The drivers shall always be available with the car at the place where the car is parked, once he has reported to the guest / user officer of the Bank.

(vi) चालक को एक प्लेकार्ड ले जाना चाहिए जिसमें हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन आदि पर आने वाले मेहमानों / अधिकारियों के विवरण को दर्शाया जाता है।

The drivers shall carry a placard depicting particulars of the arriving Guests /Officers at the Airport/Railway Station etc.

(vii) "प्रथम पक्ष" द्वारा तैनात ड्राइवर को आवश्यकता के मामले में मार्ग में वाहनों की मामूली मरम्मत का ज्ञान होना चाहिए।

The Drivers deployed by "The First Party" should have knowledge of minor repair of vehicles en-route, in case of need.

(viii) ड्यूटी पर तैनात चालकों को गंतव्य बिंदु के मार्ग से परिचित होना चाहिए।

The drivers on duty should be familiar with the route of destination point.

(ix) ड्राइवर को अतिथि से किसी भी टिप्स का दावा नहीं करना चाहिए।

The driver should not claim any tips from the guest.

(x) "प्रथम पक्ष" द्वारा नियुक्त ड्राइवर बैंक के सुरक्षा अधिकारियों / गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और वाहन / चालक को आवश्यकतानुसार सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

The drivers engaged by "The First Party" shall abide by the instructions given by the Security Officers / Guards of the Bank and vehicle / driver will have to undergo security check as and when required.

5. "प्रथम पक्ष" को बैंक के अतिथियों / अधिकारियों को प्राप्त करते समय हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन पर प्रीमियम कार पार्किंग स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए।

"The First Party" should arrange for premium car parking space at the Airport / Railway Station while receiving guests / officer of the Bank.

6. ड्राइवरों को दैनिक आधार पर माइलेज का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और उपयोगकर्ता अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा इसे प्रमाणित करना चाहिए। ड्राइवरों को यात्रा की गई किलोमीटर, ड्यूटी से छूटने के समय आदि के पूरे विवरण के साथ ड्यूटी स्लिप बनाए रखनी चाहिए, जो सेवा का उपयोग करके अधिकारी द्वारा प्रमाणित करनी है। ट्रिप शीट को अनिवार्य रूप से उस मार्ग को इंगित करना होगा जिसमें कार ने यात्रा की है, जिसकी विफलता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

The drivers should maintain proper record of mileage on a daily basis and get the same authenticated by the user officer/staff. The drivers should maintain duty slips with complete details of kilometers travelled, time of releasing from duty, etc. authenticated by the officer using the service. The trip-sheets must mandatorily indicate the route in which car has travelled, failure of which could attract penalty.

7. "प्रथम पक्ष" को बिना किसी विफलता के कार विवरण यानी इसका मेक एंड कलर, पंजीकरण नंबर, ड्राइवर का नाम और मोबाइल नंबर बैंक के पणजी कार्यालय में कार्यरत (डीलिंग) कार डेस्क के साथ-साथ टेलीफोन कॉल द्वारा कार के उपयोगकर्ता को यात्रा शुरू होने से कम से कम 8 घंटे पहले और एक एसएमएस, ईमेल द्वारा सूचित करना चाहिए।

"The First Party" should convey without fail the car details i.e. its make and colour, Registration Number, Driver's Name and mobile number to the dealing car desk at the Bank's Panaji office

as well as to the user of the car by telephone call, SMS and email at least 8 hours prior to start of journey.

8. यदि बुक की गई कार, किसी भी अप्रत्याशित कारण से किसी भी दिन उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, तो "प्रथम पक्ष" को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। "प्रथम पक्ष", बैंक के डीलिंग डेस्क के साथ-साथ कार के उपयोगकर्ता को भी परिवर्तनों की सूचना देगा।

If the booked car cannot be made available on any day, due to any unforeseen contingencies, "The First Party" should make alternate arrangements promptly. "The First Party" shall intimate the changes to the Car Dealing Desk of the Bank as well as to the user of the car.

9. प्रथम पक्ष को यातायात, पंजीकरण आदि के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गठित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी।

"The First Party" shall solely be responsible for ensuring the compliance to rules & regulations formed by the Central and State government in respect of traffic, registration etc.

10. "प्रथम पक्ष" यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदान की गई टैक्सियां मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत समय-समय पर संशोधित के रूप में पंजीकृत हैं और नवीनतम सड़क सुरक्षा नियमों और विनियमों का भी पालन करती हैं।

"The First Party" shall ensure that the taxis provided are registered under Motor Vehicle Act, 1988 as revised from time to time and also follow latest Road Safety rules and regulations.

11. बैंक की सेवा के लिए तैनात कारों में से "प्रथम पक्ष" बीमा, सड़क कर आदि के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक को इससे संबंधित किसी भी नुकसान/दंड के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

"The First Party" shall be responsible for insurance, road tax etc. of the cars deployed for the service of the Bank. The Bank in no way will be held liable for any loss/penalties related thereto.

12. "प्रथम पक्ष" को बैंक केशॉर्ट नोटिस पर कार प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी (जैसे आपातकालीन स्थिति में एक घंटे के भीतर)। यदि "प्रथम पक्ष" मौखिक या लिखित रूप से हमारे अनुरोध पर टैक्सी / कार प्रदान करने में विफल रहता है, तो बैंक अनुमोदित परिवहन प्रदाताओं के पैनल से वेंडर को हटाने के लिए स्वतंत्र होगा।

"The First Party" shall also be required to provide cars on short notice from the Bank (say within an hour in case of emergency). In case "The First Party" fails to provide taxi/car on our request either verbal or written, the Bank shall be free to remove them from the panel of approved transport providers.

13. "प्रथम पक्ष" केवल पीले नंबर प्लेट वाली कारें प्रदान करेगी।

"The First Party" shall provide cars with Yellow Number Plates only.

14. यदि "प्रथम पक्ष" अपनी कारों की अनुपलब्धता के कारण अपनी स्वामित्व वाली कारों को प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो "प्रथम पक्ष" समान नियमों और शर्तों के साथ अन्य एजेंसियों से कार की व्यवस्था करेगा।

In case "The First Party" is not able to provide their owned cars due to unavailability of their own cars, "The First Party" shall arrange car from other agencies with the same terms and conditions.

(i) यदि बुक की गई कार को चालक / कार की अनुपलब्धता के कारण किसी भी दिन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, तो "प्रथम पक्ष" को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

if the booked car cannot be made available on any day due to non-availability of driver/car, "The First Party" should make alternate arrangements promptly.

(ii) सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों या उन लोगों को गंभीर असुविधा के लिए, जिनके लिए बैंक सेवाएं प्रदान करने का निर्देश देता है, संबंधित उदाहरण के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि, बैंक उचित नोटिस देने के बाद जुर्माना लगाएगा। विवाद की स्थिति में, उपरोक्त सामान्य निर्देशों और नियमों और शर्तों के पैरा 7 के प्रावधान लागू होंगे।।

For deficiency in services and serious inconvenience caused to the Bank and its officials or to those for whom the Bank directs to provide services, penalty, as agreed, for the relevant instance will be imposed. However, the Bank will impose the penalty after giving due notice. In case of dispute, provisions of para 7 of the abovementioned General Instructions and Terms and Conditions will be applicable.

(iii) "प्रथम पक्ष" को वाहनों के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। विफलता के मामले में, "प्रथम पक्ष" इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होगी और इसे "प्रथम पक्ष" के बिल / PBG से काट लिया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और ऑपरेटर के लिए बाध्यकारी होगा। ऐसा मुआवजा उपर्युक्त पैरा (ii) के तहत लगाए गए किसी भी दंड के अतिरिक्त हो सकता है। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, "प्रथम पक्ष" के किसी भी लंबित या बाद के बिलों / PBG से काटा जाएगा।

"The First Party" will also have to make alternate arrangements in case of breakdown of vehicle(s). In case of failure, "The First Party" will be responsible to compensate all expenses incurred by the Bank in this regard and the same will be deducted from the bill / PBG of "The First Party". Decision of the Bank in this regard will be final and binding on the operator. Such compensation may be in addition to any penalty imposed under Para (ii) above. Penalty and compensation, if any, will be deducted from any pending or subsequent bill/s / PBG of "The First Party".

(iv) यदि "प्रथम पक्ष" कार की श्रेणी प्रदान करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए बैंक द्वारा बुकिंग की गई है, तो वह उच्च श्रेणी के वाहन प्रदान कर सकता है। हालांकि, बैंक द्वारा बुक किए गए वाहन की श्रेणी के लिए भुगतान किया जाएगा। किसी भी मामले में, "प्रथम पक्ष" द्वारा निचली श्रेणी की कार प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

In case the "The First Party" is not able to provide the category of car for which booking has been made by the Bank, he can provide higher category of vehicle. However, payment will be made for the category of vehicle booked by the Bank. In no case, "The First Party" would be allowed to provide a car of lower category.

15. मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटान: इस संबंध में किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को निपटान के लिए क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को भेजा जाएगा, जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएँगे/ बताएँगी, जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। यदि कोई कानूनी विवाद उठाया जाता है, तो उसे केवल पणजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले न्यायालयों में निपटाया जाएगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान मोड का उपयोग किया जा सकता है।

Settlement of dispute by Arbitration: All disputes and differences of any kind in this regard shall be referred to the Regional Director, Reserve Bank of India, Panaji for settlement who shall state his/her decision in writing, which will be binding on both the parties. In case any legal dispute is raised, same will be settled in the Courts falling under the jurisdiction of Panaji only. Alternate settlement modes can be used for settling any legal dispute with mutual consent only.

16. "प्रथम पक्ष" अनुबंध की अवधि के दौरान लागू सभी विधिक प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जिसमें शामिल हैं: (i) मजदूरी संहिता, 2019 (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 (OSHC संहिता, 2020) (v) नियोक्ता की देयता अधिनियम, 1938 (vi) बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा (vi) एवं/या कोई अन्य लागू अधिनियम/कानून।

The First Party" shall ensure compliance with all the applicable statutory provisions in force during the currency of the Contract, including (i) Code on Wages, 2019 (ii). Industrial Relations Code, 2020 (iii). Code on Social Security, 2020 (iv). Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (OSHC Code, 2020) (v) Employer's Liability Act, 1938 (vi) Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and (vi) and/or any other act / law as applicable.

17. "प्रथम पक्ष" द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसके कर्मचारी होंगे और न तो "प्रथम पक्ष" और न ही कर्मियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा।

The persons engaged by "The First Party" will be his employees and neither "The First Party" nor the personnel shall have any right to claim any employment in the Bank.

18. "प्रथम पक्ष" द्वारा स्वीकार किए गए अनुलग्नक-1 में निहित दरें 31 मार्च 2027 तक वैध रहेंगी, जहां अनुबंध के नवीनीकरण के समय उनकी समीक्षा की जा सकती है, बशर्ते श्रम कानूनों में कोई बड़ा बदलाव हो या ईंधन मूल्य निर्धारण आदि को प्रभावित करने वाला सरकारी निर्णय हो। हालांकि, यह केवल बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की अनुमति से ही किया जा सकता है।

The rates in Annexure-I accepted by "The First Party", will remain valid till March 31, 2027, where after they may be reviewed at the time of renewal of the contract provided any major changes occur in labour laws or Govt. decision affecting fuel pricing etc. However, this can be done only with the permission of the Regional Director of the Bank.

19. अनुबंध-1 में उल्लिखित दरें 20 दिसंबर से 05 जनवरी तक की व्यस्तता (पीक) अवधि के लिए लागू नहीं होंगी। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो प्रति दिन दो कारें अनुबंधित दरों पर प्रदान की जाएंगी।

The rates mentioned in Annexure-I will not be applicable for the peak period from December 20 to January 05. However, two cars per day if required will be provided at the contracted rates.

20. भुगतान की शर्तें: बिलों का निपटान केवल यात्रा पर्ची और फीडबैक फॉर्म (अनुबंध-ई) के साथ अधिकृत यात्री अतिथि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बिल जमा करने पर किया जाएगा। बैंक के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के मामलों को छोड़कर, बिलों का भुगतान दोष-रहित बिलों तथा अन्य जरूरी दस्तावेजों के उत्पादन के पैंतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा। "प्रथम पक्ष" को अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए जैसे कि खाते का प्रकार, खाता संख्या, आईएफएस कोड ऑफ बैंक शाखा, क्योंकि बिलों का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया जाएगा।

Terms of Payment: The bills will be settled only on submission of bills along with travel/duty slip and **Feedback Form** (Annexure-E) duly signed by the authorised traveller guest. Except under cases of circumstances beyond the control of the Bank, the payment of bills will be made within Forty-five (45) days of production of correct bills and other necessary documents. "The First Party" should furnish details of its bank account such as Type of Account, Account No., IFS Code of Bank branch, as the payment of the bills will be made by electronic mode only.

21. फीडबैक फॉर्म का प्रिंटआउट विवरण के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। "प्रथम पक्ष" को विवरण 1 से 6 भरना होगा और अतिथि से बिंदु 7 से 11 पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। बैंक को बिल के साथ फीडबैक फॉर्म भेजना अनिवार्य है।

The printout of the Feedback Form should be attached with the details. "The First Party" must fill the details 1 to 6 and the guest should be requested to provide their feedback on point 7 to 11. It is mandatory to send Feedback Form along with the bill to the Bank.

22. कर: भारतीय कानूनों के अनुसार, कर, जैसा कि लागू होता है, स्रोत पर काटा जाएगा और इसके लिए "प्रथम पक्ष" को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

Taxes: As per the Indian laws, taxes, as applicable, will be deducted at source and a certificate for the same will be issued to the first party.

25. क्षतिपूर्ति: "प्रथम पक्ष" अनुबंध की अवधि के दौरान व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाले "प्रथम पक्ष" द्वारा तैनात ड्राइवर द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त की अनुपस्थिति में, बैंक "प्रथम पक्ष" द्वारा लंबित या बाद के बिल / PBG से बैंक को हुए नुकसान या क्षति की लागत की वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Indemnification: "The First Party" shall indemnify the Bank for any loss or damage caused by the driver/s deployed by "The First Party" that occurs to persons or building or third party during the period of contract. In absence of the above, the Bank reserves the right to recover the cost of loss or damage suffered by the Bank from the pending or subsequent bill / PBG of "The First Party".

## 26. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम / **Prevention of Sexual Harassment of Women at workplace**

a. "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए "प्रथम पक्ष" पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

"The First Party" shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

b. बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत "प्रथम पक्ष" द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी और "प्रथम पक्ष" शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the Internal Complaints Committee constituted by "The First Party" and "The First Party" shall ensure appropriate action under the said Act in respect to the complaint.

c. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ "प्रथम पक्ष" के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of "The First Party" against any employee of the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

d. "प्रथम पक्ष" किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में "प्रथम पक्ष" के कर्मचारियों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि "प्रथम पक्ष" के कर्मचारी द्वारा यौन दुर्व्यवहार या हिंसा साबित होती है।

"The First Party" shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of "The First Party", for instance any monetary relief to Bank's employee, if sexual misconduct or violence by the employee of "The First Party" is proved.

e. "प्रथम पक्ष" कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

"The First Party" shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at workplace and related issues.

## 27. सूचना का प्रकटीकरण न करना / **Non- Disclosure of Information**

a) "प्रथम पक्ष" या उसके किसी भी एजेंट/उप-एजेंट/कर्मचारी/चालक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की ऐसी किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेंगे, जो इस

समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान प्रथम पक्ष के कब्जे या जानकारी में आ सकती है और हर समय सख्त विश्वास में इसे धारण करेगी।

"The First Party "or any of its agents/sub-agents/employees/drivers shall not disclose directly or indirectly any information, materials and details of the Bank's infrastructure/systems/equipment etc., which may come to the possession or knowledge of the First Party during the course of discharging its contractual obligations in connection with this agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence.

b) "प्रथम पक्ष" अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय के रूप में मानेगा, इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर।

"The First Party" shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws.

c) "प्रथम पक्ष" बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और बैंक के काम के किसी भी विवरण को जारी, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा।

"The First Party" shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the Bank's work in any trade or technical paper or elsewhere without the prior written consent of the Bank.

d) "प्रथम पक्ष" किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को "प्रथम पक्ष" की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने का हकदार होगा।

"The First Party" shall indemnify the Bank for any loss suffered by the Bank as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of "The First Party" and the Bank shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies.

e) "प्रथम पक्ष" यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में "प्रथम पक्ष" के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समापन से बचे रहेंगे।

"The First Party" shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The obligations of "The First Party" with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

27. कारों को किराए पर लेने के लिए "प्रथम पक्ष" और बैंक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत प्रभारों का विवरण अनुसूची I में निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार होगा जो इस समझौते (अनुबंध-I) में संलग्न है और करार का एक अभिन्न अंग होगा।

The details of the charges mutually agreed between the "The First Party" and the Bank for the hiring of cars would be as per the schedule of rates as set out in **Schedule I** which is annexed to this Agreement (Annexure-I) and would form an integral part of the agreement.

28. "प्रथम पक्ष" या उसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, बिना किसी नोटिस या उसके बदले किसी मुआवजे के करार की संक्षिप्त समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

"The First Party" or its agents/employees/drivers committing any breach of terms and conditions mentioned herein and/or rendering unsatisfactory services, in the opinion of the Bank, shall render itself liable for summary termination of the agreement forthwith without any notice or any compensation in lieu thereof.

29. इस करार को कम से कम 03 महीने पहले लिखित में इस तरह के इरादे की सूचना देने वाले किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

This Agreement may be terminated by either party giving notice of such intention in writing at least three clear calendar months in advance.

30. इस करार के हिंदी और अंग्रेजी पाठ/संस्करण (वर्शन) के बीच किसी प्रकार की विसंगति अथवा गलत या अशुद्ध अर्थ निकाले जाने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

In case there is some discrepancy/ misinterpretation between Hindi and English version of Agreement, then the stipulations made in English version will prevail.

"बैंक" और "प्रथम पक्ष" ने इस बारे में साक्ष्य स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर किए और इसकी दो प्रतियाँ उक्त दिन और वर्ष को तैयार की गईं।

IN WITNESS WHEREOF "the Bank" and "The First Party" have set their respective hands to present and two duplicates hereof the day and year first hereinabove written.

"बैंक" ने साक्ष्य स्वरूप अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित किए और "प्रथम पक्ष" ने इसकी दोनों प्रतियों पर अपनी सामान्य मुहर लगाई और इसकी दो प्रतियों पर उसकी ओर से इन्हें उक्त दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया।

IN WITNESS WHEREOF "the Bank" has set its hands to these presents through its duly authorized officials and "The First Party" has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates/has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खंड / Signature Clause:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित

/ SIGNED AND DELIVERED by the **Reserve Bank of India** by the hand of

**Assistant General Manager** \_\_\_\_\_

**Car Vendor Name** \_\_\_\_\_

हस्ताक्षरित और वितरित/ SIGNED AND DELIVERED

**by the Car Vendor Proprietor Name** \_\_\_\_\_

**In the presence of Witness / साक्षी की उपस्थिति में**

1. Name / नाम \_\_\_\_\_  
Address / पता \_\_\_\_\_

2. Name / नाम \_\_\_\_\_  
Address / पता \_\_\_\_\_

FORMAT OF UNDERTAKING/ DECLARATION

(To be uploaded by the agency / contractor on MSTC portal on its letter head)

To,

The Regional Director

Reserve Bank of India

Panaji – 403 001

Sir,

- i)** I/we confirm of having read and understood the above stated terms and conditions as given in the e-tender document.
- ii)** I/We hereby agree to abide by all terms and conditions laid down in tender document.
- iii)** This is to certify that I/We before signing this bid have read and fully understood all the terms and conditions and instructions contained therein and undertake myself/ ourselves to abide by the said terms and conditions.
- iv)** Further, the facts stated above by us in the e- tender application are true to the best of my/ our knowledge.
- v)** I / We declare that there is no case/ charge under investigation/ enquiry/ trial against the agency/ Company/ Firm.
- vi)** I/ We have not been banned and de-listed by any Government Department/ Financial Institution/ Public sector undertakings/ Private Sector Undertakings/ Reserve Bank of India/ MNCs and have not been convicted by any Court of Law and have no case pending before the court of law/ Police authorities for the last 10 years.
- vii)** I/We abide by the provisions of Minimum Wages Act (as notified by Central Govt.), Contract Labor (Regulation and Abolition) Act 1970 and other statutory provisions like Provident Fund Act, ESI Bonus, Gratuity, Leave, Relieving Charges, Uniform and Allowance thereof and any other charges applicable from time to time. I/We will pay the wages to the Workers deployed as per Minimum Wages Act as amended by the Government from time to time and shall be fully responsible for any violation. I/We shall keep the Reserve Bank of India indemnified of all the expenses incurred due to lapse, of any kind, on my/ our part or my/ our workers' part.

**Signature** \_\_\_\_\_

**(Name of Authorized Signatory)**

**Company/ agency/ contractor/ firm's Seal:**

**Place:**

**Date:**

**CERTIFICATE**

(to be provided on letter head of the firm)

I / We hereby certify that this firm has neither been blacklisted by any Central/ State Government/ Public Sector Undertaking/ Autonomous Body/ Institute including Reserve Bank of India nor is any criminal case registered/ pending against this firm or its owner(s)/ partner(s) anywhere in India.

I / We have never been involved in any illegal activities or financial frauds nor any case is pending with the Police/ Court/ Regulatory authorities against me/ us/ partners (proprietors in case of Proprietorship/Partnership firm).

I / We have never been prosecuted or suffered any penalty for violation of any statutory laws by any authority over past 10 years.

I / We have never rescinded/ abandoned any contract awarded by any of my/ our clients before the expiry of prescribed period of contract in the past 10 years.

**OR**

I have rescinded / abandoned the contract awarded for which the reasons/ details are as given under.

I also certify that the above information is true and correct in every respect and in any case at a later date it is found that any details provided above are incorrect, any contract given to the above firm may be summarily terminated and the firm blacklisted.

**Date:**

**Authorised Signatory Name:**

**Place:**

**Designation:**

**Contact No:**